



Madhya Pradesh Industrial Development Corporation



MPIDC (Madhya Pradesh Industrial Development Corporation) is acting as the Single Window Secretariat for Investment promotion and facilitation in the state since 2004. MPIDC has developed an ICT (Information & Communication Technology) enabled single window system, which allows investor to apply online for various approvals required to setup a business in the state. The timelines for the approvals /services provided through single window portal are mentioned below. These timelines are notified under Public Service Guarantee Act.

Citizen Charter for Single Window System Services

Sr. No	List of Services	Timeline
A	Industrial Policy and Investment Promotion	
1	Allotment of Land a. Issuance of Letter of Intent - 15 Days b. Issuance of Allotment order - 7 Days c. Execution of Lease deed - 30 Days d. Possession - 7 Days	59 Days
2	Water Connection by AKVN	15 Days
3	Building Permission by AKVN	30 Days
4	Registration of Boilers	30 Days
5	Boiler Inspection & Renewal	17 Days
6	Permission to Transfer Boiler	15 Days
7	Registration under Boiler Act to work as Erector	30 Days
8	Registration under Boiler Act to work as Manufacturer	30 Days
9	Renewal under Boiler Act to work as Erector	30 Days
10	Renewal under Boiler Act to work as Manufacturer	30 Days
11	Permission for Manufacturing of Boilers under Boilers Act	15 Days
12	Registration of Partnership Firm	20 Days
13	Registration of Societies	20 Days
14	Fiscal incentives (As per policy) Issuance of intent letter Granting sanction and disbursal of applicable incentives	03 Days 60 Days
B	Labour Department	
15	Registration under Shops & Establishment Acts	30 Days (Provisional 1 Day)
16	Renewal under Shops & Establishment Acts	30 Days
17	License and renewal of license for contractors under provision of The Contracts Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970	30 Days

18	Factory License (under hazardous & non- hazardous category)	30 Days
19	Renewal of Factories License	30 Days
20	Factory Building Plan Approval	30 Days
21	Registration under The Building and Other Construction Workers (BOCW)	30 Days
22	Registration certificate of Establishment Inter State Migrant Workmen (RE&CS) Act,1979	30 Days
23	Registration of Principal Employer's Establishment under provision of The Contracts Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970	30 Days
C	Energy Department	
24	Electricity Connection - HT (East, West, Central Zone)	07 Days
D	Urban Development & Environment Department	
25	Fire NOC (No Objection Certificate)	60 Days
26	Trade License	30 Days
E	MP Pollution Control Board	
27	Consent to Establish (Under Water Act & Air Act)	45 Days
28	Consent to Operate (Under Water Act & Air Act)	45 Days
29	Authorization under Hazardous Waste Rules	45 Days
30	Consent to Operate Renewal (Under Water & Air Act)	45 Days (Red) Self-Certification (Green & Orange)
F	Department of Commercial Tax	
31	Profession Tax Registration	01 Day
G	State Excise Department	
32	L-1 and L-2 License	07 Days
H	Registration & Stamp Department	
33	Property Registration	01 Day
I	Food & Drugs Administration	
34	Drug License	15 Days
J	Food and Civil Supplies (Controller Weights and Measures)	
35	License as Manufacturer of Weights and Measures	45 Days
36	License as Dealer of Weights and Measures	30 Days
37	License as Repairer of Weights and Measures	30 Days
38	Registration as Packers/Importer of Weights and Measures	7 Days

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 298]

भोपाल, गंगाल्कार, दिनांक 29 सितम्बर 2015—अश्विन 7, शक 1937

लोक सेवा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2015

क्र. एक 2-15-2012-इकसल-लोकसेवा-पो.स.बी.-2.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, श्रम विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं एवं पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवाएं प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अधिकारी द्वारा नियुक्ति के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत श्रम विभाग की सेवाएं

क्र.	सेवा का नाम	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपीलीय अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.18	दुकान संस्थान की स्थापना पंजीयन में संशोधन.	प्राधिकृत श्रम अधिकारी.	30 कार्य दिवस.	कलेक्टर	30 कार्य दिवस.	संभागयुक्त
2.19	दुकान संस्थान की स्थापना पंजीयन में संशोधन के साथ नवीनीकरण.	प्राधिकृत श्रम अधिकारी.	30 कार्य दिवस.	कलेक्टर	30 कार्य दिवस.	संभागयुक्त

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरिंजन राव, सचिव.

795

सेवा क्र.	सेवाएं	प्रदायित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

2.18	अन्तर-क्षेत्रीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन क. विनियमन एवं सेवा शर्तों) अधिनियम, 1979 के अन्तर्गत जारी संज्ञीयन एवं लानसेस का प्रदाय करना	जिला स्तरीय श्रम अधिकारी/जिले में राजपत्रित श्रेणी का अधिकारी परदस्थ न होने पर संबंधित संभाग का सहायक अमायुक्त,	30 कार्य दिवस.	कलेक्टर	30 कार्य दिवस.	संभागा आयुक्त
------	---	---	----------------	---------	----------------	---------------

सेवा क्र.	सेवाएं	प्रदायित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.5	हजिदा श्रम (वि. एवं ह.) अधिनियम, 1970 के अन्तर्गत लेखेदारों को अनुज्ञापित का प्रदाय.	राजपत्रित श्रेणी का जिला स्तरीय श्रम अधिकारी/जिले में राजपत्रित श्रेणी का अधिकारी परदस्थ न होने पर संबंधित संभाग का सहायक श्रम आयुक्त.	30 कार्य दिवस	उप अमायुक्त	45 कार्य दिवस	अपर अमायुक्त/ अमायुक्त.

सेवा क्र.	सेवाएं	प्रदायित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

2.11	कारखाना अधिनियम, 1948 को धरा की धरा 6, 7 सहसहित नियम 6 के अंतर्गत गैर घुस्तनाक श्रेणी के कारखानों को नवीन अनुज्ञापित जारी किया जाना.	मुख्य कारखाना निरीक्षक, ग. प्र. इन्दौर (संज्ञात्मक, औद्योगिक स्वच्छ एवं सुरक्षा).	30 कार्य दिवस.	श्रम आयुक्त, ग. प्र. इंदौर.	30 कार्य दिवस.	प्रमुख सचिव / सचिव, श्रम विभाग.
------	--	---	----------------	-----------------------------	----------------	---------------------------------

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.20	कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 6, 7 संपठित नियम 3-ए के अंतर्गत कारखानों के साईट प्लान एवं विस्तृत नक्शों की अनुज्ञा जारी किया जाना.	मुख्य कारखाना निरीक्षक म. प्र., इंदौर (संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा).	30 कार्य दिवस.	श्रम आयुक्त, म. प्र., इंदौर.	30 कार्य दिवस.	प्रमुख सचिव/ सचिव श्रम विभाग.
2.17	मोटर एवं अन्य सॉनिमिंग कार्यालय अधिनियम, 1996 के अंतर्गत पंजीयन का प्रदाय	राजपत्रित श्रेणी का जिला स्तरीय श्रम अधिकारी / जिले में राजपत्रित श्रेणी का अधिकारी पदस्थ न होने पर संबंधित संभाग का सहायक इमायुक्त.	30 कार्य दिवस.	कलेक्टर	30 कार्य दिवस.	संभाग आयुक्त

सुनिश्च-पत्र

क्र. एफ-2-13-2012-इकसत-सोसेप्र-पी.एस.पी -2.—विभागीय समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक 189, दिनांक 18 मई, 2015 को मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण), दिनांक 19 मई, 2015 में मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत श्रम विभाग की सेवाएं प्रकाशित की गई हैं. अधिसूचना के पृष्ठ क्रमांक 377 सेवा क्रमांक 2.17 के कॉलम (2) में धरित सेवाएं में उल्लेखित "मोटर" के स्थान पर "श्रम" पढ़ा जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरिंजन राव, सचिव.

उत्तरे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से ई-डाउन लोड कलक ला सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क.मांक 626]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 24 दिसम्बर 2014—पृष्ठ 3, शक 1936

लोक सेवा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 24 दिसम्बर 2014

क. एक 2 13 2012-ककसक-लोकसेवा-पी.एल.पी.-17—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिविधम, 2010 (प्रकाशक 24 सत, 2010) की धारा 3 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार द्वारा आदेश दिनांक 10 अप्रील 2013 के माध्यम में अन्वय एवं पर्यवेक्षण विभाग (गर्तमान में नगरीय विकास एवं पर्यावरण) द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं, प्पाधिकृत अधिकारी का पदनाम, सेवाएं प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निरकरण के लिए निश्चित की गई समय सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम अधिसूचित किया गया है. उक्त अधिसूचना में विमातुसार संशोधन कएते हैं, अर्थात् :-

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिविधम, 2010 की धारा 3 के तहत नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग की सेवाएं

क.	सेवाएं	प्राधिकृत अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निरकरण की निश्चित समय सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
17.3	बल (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधि विधम, 1974 की धारा 25 के तहत पर्यवेक्षण स्वीकृत के प्रकरणों के अतिरिक्त लघु प्रणी उद्योगों की सम्मति.	क्षेत्रीय अधिमात्री, क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड.	45 कार्य दिवस	सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण मंडल.	30 कार्य दिवस	अध्यक्ष, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड.

17.4 लघु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 के तहत पर्यावरण स्वीकृति के प्रकरणों के आर्थिक लघु श्रेणी वर्गों की सम्पत्ति.	क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड.	45 कार्य दिवस	सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड.	30 कार्य दिवस	अध्यक्ष, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड.
17.7 मूल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25 के तहत पर्यावरण स्वीकृति के प्रकरणों के आर्थिक मध्यम श्रेणी वर्गों की सम्पत्ति.	अध्यक्ष, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड.	45 कार्य दिवस	उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण.	30 कार्य दिवस	प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं पर्यावरण.
17.8 लघु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 के तहत पर्यावरण स्वीकृति के प्रकरणों के आर्थिक मध्यम श्रेणी वर्गों की सम्पत्ति.	अध्यक्ष, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड.	45 कार्य दिवस	उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण.	30 कार्य दिवस	प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं पर्यावरण.
17.13 लाल/नारंगी/हरी श्रेणी के 10 करोड़ तक लागत वाले उद्योगों 5000 वर्गमीटर तक निर्माण वाली आवासीय योजनाओं, सोलर मिट्टी एवं दैत खदान को परिसंरक्षण अधिनियम, 2016 के नियम के अन्तर्गत अधिकृत (177) प्रकार के अतिप्रदूषणकारी एवं पर्यावरणीय स्वीकृति वाले एच स्तर वाले अपशिष्टों की रिसाइकलिंग एवं रिकॉन्सट्रक्शन वाले उद्योगों को (अहमद).	क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड.	45 कार्य दिवस.	सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड.	20 कार्य दिवस.	अध्यक्ष, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड.
17.16 लाल/नारंगी/हरी श्रेणी के 10 करोड़ लागत से अधिक वृहद/मध्यम उद्योगों 5000 वर्गमीटर से अधिक की निर्माण, परियोजनाओं, मेजर एवं मईंग मिनेरल की सभी खदानों को परिसंरक्षण अधिनियम, 2016 के नियम के अन्तर्गत अधिकृत.	अध्यक्ष, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड.	45 कार्य दिवस.	उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन.	30 कार्य दिवस.	प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं पर्यावरण.

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 181]

भोपाल, पंचलावार, दिनांक 5 सितम्बर 2017—पाठ 14, शक 1939

लोक सेवा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 5 सितम्बर 2017

क्र. एक 2-15-2012 इकराठ लोसेप्र-पी.एस.जी. 1.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, पृतद्द्वारा उर्जा विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली नवीन सेवाएँ, पदाभिहित अधिकारों का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत उर्जा विभाग की सेवाएँ

सेवा क्र.	सेवाएँ	पदाभिहित अधिकारों का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गयी समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.16	अ. मोटर/ सर्विस लाइन अथवा मीटर की परिस्तर में हो शिफ्टिंग हेतु मांग पत्र जारी करना.	अ. शहरी क्षेत्र-जोन/ वितरण केन्द्र प्रभारी.	5 कार्य दिवस.	कार्यपालन यंत्री	15 कार्य दिवस.	अधीक्षण अभियंता.
		ब. ग्रामीण क्षेत्र- वितरण केन्द्र प्रभारी.	10 कार्य दिवस.	कार्यपालन यंत्री	15 कार्य दिवस.	अधीक्षण अभियंता.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	ब. मांग पत्र अनुसार राशि जमा करने के उपरांत मॉटर/ सर्विस लाइन अथवा मीटर की परिस्तर में ही शिफ्टिंग करना.	अ. शहरी क्षेत्र-जोन/ वितरण केन्द्र प्रभारी.	5 कार्य दिवस.	कार्यपालन यंत्रो	15 कार्य दिवस.	अधीक्षण अभियंता.
		ब. ग्रामीण क्षेत्र- वितरण केन्द्र प्रभारी.	10 कार्य दिवस.	कार्यपालन यंत्रो	15 कार्य दिवस.	अधीक्षण अभियंता.
1.17	विवादित बिजली बिल की शिकायत का निराकरण (बिजली चोरी के प्रकरणों को छोड़कर).	अ. शहरी क्षेत्र-जोन/ वितरण केन्द्र प्रभारी.	5 कार्य दिवस.	कार्यपालन यंत्रो	15 कार्य दिवस.	अधीक्षण अभियंता.
		ब. ग्रामीण क्षेत्र वितरण केन्द्र प्रभारी.	10 कार्य दिवस.	कार्यपालन यंत्रो	15 कार्य दिवस.	अधीक्षण अभियंता.
1.18	कक्षाया राशि का भुगतान उपरांत विच्छेदित कनेक्शन को पुनः संयोजित करना.	अ. शहरी क्षेत्र-जोन/ वितरण केन्द्र प्रभारी.	2 कार्य दिवस.	कार्यपालन यंत्रो	15 कार्य दिवस.	अधीक्षण अभियंता.
		ब. ग्रामीण क्षेत्र- वितरण केन्द्र प्रभारी.	4 कार्य दिवस.	कार्यपालन यंत्रो	15 कार्य दिवस.	अधीक्षण अभियंता.

क्र. एफ 2 13 2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी. 34.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) को धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अंतर्गत नाप तौल विभाग की पूर्ण में जारी अधिसूचना दिनांक 14 जुलाई 2017 में संशोधन करते हुए, नगरीय विभाग द्वारा उपलब्ध क्लर्क जाने वाली नवीन सेवाएं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय सीमा, तथा द्वितीय अपील अधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती हैं, अर्थात्:-

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अंतर्गत नाप तौल विभाग की सेवाएं

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने को निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण को निश्चित की गयी समय-सीमा	द्वितीय अपील अधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
34.13	नवीन निर्माता अनुज्ञप्ति प्रदायगी.	नियंत्रक नाप-तौल द्वारा अधिकृत अधिकारी (संयुक्त नियंत्रक/दाशमिक अधिकारी).	45 कार्य दिवस.	नियंत्रक नाप-तौल	30 कार्य दिवस.	प्रमुख सचिव, खाद्य.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
34.14	निर्माता अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण.	नियंत्रक नाप-तौल द्वारा अधिकृत अधिकारी (संयुक्त नियंत्रक/दाशमिक अधिकारी).	30 कार्य दिवस.	नियंत्रक नाप तौल	30 कार्य दिवस.	प्रमुख सचिव, खाद्य.
34.15	नवीन विक्रेता अनुज्ञप्ति प्रदायणी.	नियंत्रक नाप-तौल द्वारा अधिकृत अधिकारी (संयुक्त नियंत्रक/दाशमिक अधिकारी).	30 कार्य दिवस.	नियंत्रक नाप तौल	30 कार्य दिवस.	प्रमुख सचिव, खाद्य.
34.16	विक्रेता अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण.	नियंत्रक नाप-तौल द्वारा अधिकृत अधिकारी (संयुक्त नियंत्रक/दाशमिक अधिकारी).	15 कार्य दिवस.	नियंत्रक नाप-तौल	30 कार्य दिवस.	प्रमुख सचिव, खाद्य.
34.17	नवीन सुधारक अनुज्ञप्ति प्रदायणी.	नियंत्रक नाप-तौल द्वारा अधिकृत अधिकारी (संयुक्त नियंत्रक/दाशमिक अधिकारी).	30 कार्य दिवस.	नियंत्रक नाप-तौल	30 कार्य दिवस.	प्रमुख सचिव, खाद्य.
34.18	सुधारक अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण.	नियंत्रक नाप-तौल द्वारा अधिकृत अधिकारी (संयुक्त नियंत्रक/दाशमिक अधिकारी).	15 कार्य दिवस.	नियंत्रक नाप-तौल	30 कार्य दिवस.	प्रमुख सचिव, खाद्य.
34.19	पैकबंद वस्तुओं के निर्माता/पैककर्ता/आयातकर्ता का पंजीयन.	नियंत्रक नाप-तौल द्वारा अधिकृत अधिकारी (संयुक्त नियंत्रक/दाशमिक अधिकारी).	07 कार्य दिवस.	नियंत्रक नाप-तौल	07 कार्य दिवस.	प्रमुख सचिव, खाद्य.

क्र. एक-2-13-2012-इकसठ-लॉसेप्र-पी.एस.जी.-35.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अभिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा सहकारिता विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली नवोन सेवाएँ, पदार्थाहित अधिकारों का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निरकरण के लिए निश्चित की गई समय सीमा, तथा द्वितीय अपील प्राधिकारों का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				2. सभांगीय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम विभाग (जहां उन संचालक/सहायक संचालक निता अधिकार के रूप में पदस्थ हैं).		
	2. कॉलोनी विकास अनुज्ञा (अंतरिक विकास).	(1) कलेक्टर, नगरपालिका एवं नगर परिषद के लिए, (2) आयुक्त, नगरपालिका निगम के लिए.	30 कार्य दिवस, 30 कार्य दिवस.	संभाल आयुक्त संभाल आयुक्त	30 कार्य दिवस, 30 कार्य दिवस.	आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास
5.7	गणन अनुज्ञा प्रमाण-पत्र.	(1) नगरपालिका/नगर परिषद् क्षेत्र का मुख्य नगरपालिका अधिकारी, (2) नगरपालिका निगम क्षेत्र में अथवा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (जदि अधिकृत किया गया है). (3) आयुक्त, नगरपालिका निगम	30 कार्य दिवस, 30 कार्य दिवस, 30 कार्य दिवस.	कलेक्टर आयुक्त, नगर निगम कलेक्टर	30 कार्य दिवस, 30 कार्य दिवस, 30 कार्य दिवस.	आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास.
5.8	नगर एवं औ.पी. (1) अस्थायी (2) नगरीकरण	मुख्य अभियन्ता, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मुख्य अभियन्ता, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास.	60 कार्य दिवस, 30 कार्य दिवस.	आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास	30 कार्य दिवस, 30 कार्य दिवस.	प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
मध्य प्रदेश के राजपत्र के नाम से तथा अंग्रेजपुरा, हरिद्वार राय, सांचव.						

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत
प. प्र. टूटिपफेक की सेवाएं

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील अधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
37.1	औद्योगिक इकाइयों के लिये जल का आवंटन.	कार्यपालन यंत्रो	15 कार्य दिवस.	महाप्रबंधक, एकेव्हीएन	10 कार्य दिवस.	अध्यक्ष एकेव्हीएन.

इसे वेबसाइट www.govipressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 256]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 27 जून 2015—आषाढ़ 6, शक 1937

लोक सेवा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, चल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 27 जून 2015

क्र. एफ 2-13-2012 इन्सिड लोसेप्र-पी.एच.जी.-1.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, ऊर्जा विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाएं पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवाएं प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निरकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिश्चित करता है, अर्थात् :—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत ऊर्जा विभाग की सेवाएं

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निरकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.5	ऊर्जा दाय के स्थायी नवीन कनेक्शन का स्वीकृत पत्र (संस्थान लेटर) प्रदान करना.	अ. 33 के. व्ही. तक दत्त प्रभारी अधीक्षण यंत्री. ब. 132 एवं 220 के. व्ही. क्षेत्रीय मुख्य अभियंता.	7 कार्य दिवस. 30 कार्य दिवस.	क्षेत्रीय मुख्य अभियंता प्रमुख (वाणिज्य) कार्पोरेट कार्यालय.	15 कार्य दिवस. 15 कार्य दिवस.	प्रमुख (वाणिज्य) कार्पोरेट कार्यालय प्रबंध निदेशक

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक: 540]

शुक्रवार, मंगलवार, दिनांक 10 अक्टूबर 2017 - आश्विन 18, संक्र. 1939

लोक सेवा प्रबंधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 अक्टूबर 2017

क्र. एफ-2-23-2017 हकरठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-02.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदात शर्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा श्रम विभाग द्वारा उपलब्ध कराने वाले वाली नवीन सेवाएं पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करता है, अर्थात्:—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत श्रम विभाग की सेवाएं

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.32	संविदा श्रम (विनियम एवं सम्पत्ति) अधिनियम 1970 के अंतर्गत प्रमुख नियोजक को पंजीवन प्रदान किया जाना.	प्राधिकृत श्रम अधिकारी	30 कार्य दिवस.	उप श्रम आयुक्त	45 कार्य दिवस.	अपर श्रम आयुक्त/श्रम आयुक्त.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरिंजन राव, सचिव.

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग की सेवाएं

क्र.	सेवाएं	स्थापित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील अधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगमों/आईआईडीसी/एच.पी. ट्रायफेक के आधिपत्य के विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि के आवंटन हेतु

20.8	आशय पत्र जारी करना.	प्रबंध संचालक, म. प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम/ आईआईडीसी.	15 कार्य दिवस (विधिवत् पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के उपरांत).	प्रबंध संचालक म. प्र. ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कॉर्पोरेशन लिमि. भोपाल.	60 कार्य दिवस.	अध्यक्ष म. प्र. ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कॉर्पोरेशन लिमि. भोपाल.
20.9	आवंटन आदेश जारी करना.	प्रबंध संचालक, म. प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम/ आईआईडीसी.	7 कार्य दिवस (आशय पत्र में विहित शर्तों की पूर्ति होने के उपरांत).	प्रबंध संचालक म. प्र. ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कॉर्पोरेशन लिमि. भोपाल.	60 कार्य दिवस.	अध्यक्ष म. प्र. ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कॉर्पोरेशन लिमि. भोपाल.
20.10	पट्टा अभिलेख का निष्पादन.	प्रबंध संचालक, म. प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम/ आईआईडीसी.	30 कार्य दिवस (आवंटन आदेश की शर्तों की पूर्ति सहित).	प्रबंध संचालक म. प्र. ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कॉर्पोरेशन लिमि. भोपाल.	60 कार्य दिवस.	अध्यक्ष म. प्र. ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कॉर्पोरेशन लिमि. भोपाल.
20.11	आधिपत्य प्रदान करना.	प्रबंध संचालक, म. प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम/ आईआईडीसी.	07 कार्य दिवस (पट्टा अभिलेख के पंजीयन होने के उपरांत).	प्रबंध संचालक म. प्र. ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कॉर्पोरेशन लिमि. भोपाल.	60 कार्य दिवस.	अध्यक्ष म. प्र. ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कॉर्पोरेशन लिमि. भोपाल.
20.12	म. प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगमों/आईआईडीसी के अधीन नगरीय क्षेत्रों के औद्योगिक क्षेत्रों में भवन निर्माण की अनुमति.	प्रबंध संचालक, म. प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम लिमि./इण्डस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्लपमेंट कॉर्पोरेशन (ग्वालियर) एच. पी.	30 कार्य दिवस.	प्रबंध संचालक म. प्र. ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कॉर्पोरेशन लिमि. भोपाल.	15 कार्य दिवस.	अध्यक्ष म. प्र. ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कॉर्पोरेशन लिमि. /उपमुख्य सचिव, म. प्र. शासन वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग भोपाल.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरिहरजन राव, सचिव.

श्रीपाल, दिनांक 10 अक्टूबर 2017

क्र. एफ-2-23-2017-इकसठ-लोसेप्र-पो.एस.जी.-38. मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत म. प्र. संचालक वाष्पयंत्र द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाली नवीन सेवाएं पराभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करता है, अर्थात्—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत म. प्र. संचालक वाष्पयंत्र की सेवाएं

सेवा क्र.	सेवाएं	पराभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण को निश्चित की गई समय सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
38.2	वायलर अधिनियम 1923 की धारा 8 के अंतर्गत वायलर का निरीक्षण.	निरीक्षण वायलर ग्रेड-2/ग्रेड प्रथम/ उप संचालक वायलर (संचालक वायलर द्वारा कार्यक्षेत्र आवंटन के अंतर्गत नामित अधिकारी).	17 कार्य दिवस	संचालक वायलर	30 कार्य दिवस.	प्रमुख सचिव, वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग.
38.3	भारतीय वायलर विनियम 1950 के विनियम 392 (5) के अंतर्गत वायलर निर्माणकर्ता इकाइयों का अनुमोदन.	निरीक्षण वायलर ग्रेड 2/ग्रेड प्रथम/ उप संचालक वायलर (संचालक वायलर द्वारा कार्यक्षेत्र आवंटन के अंतर्गत नामित अधिकारी).	30 कार्य दिवस	संचालक वायलर	30 कार्य दिवस.	प्रमुख सचिव, वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग.
38.4	भारतीय वायलर विनियम 1950 के विनियम 392 (5) के अंतर्गत वायलर इरेक्शनकर्ता इकाइयों का अनुमोदन.	निरीक्षण वायलर ग्रेड-2/ग्रेड प्रथम/ उप संचालक वायलर (संचालक वायलर द्वारा कार्यक्षेत्र आवंटन के अंतर्गत नामित अधिकारी).	30 कार्य दिवस	संचालक वायलर	30 कार्य दिवस.	प्रमुख सचिव, वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरिरेजन राव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 10 अक्टूबर 2017

क्र. एफ 2 23 2017 इकसठ लोरोप्र-पी.एस.जी.-05.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाली नवीन सेवाएं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत नगरीय विकास एवं आवास विभाग की सेवाएं

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.9	ट्रेड लाइसेंस	मुख्य नगरपालिका अधिकारी/नगर परिषद् क्षेत्र के लिए,	30 कार्य दिवस	परियोजना अधिकारी, जिला शहर विकास अधिकरण.	15 कार्य दिवस.	संभागीय संयुक्त संचालक, नगरीय विकास एवं आवास.
		आयुक्त, नगर पालिका निगम द्वारा प्राधिकृत अधिकारी नगरपालिका निगम क्षेत्र के लिए,	30 कार्य दिवस	आयुक्त, नगर पालिका निगम,	15 कार्य दिवस.	अपर आयुक्त नगरीय विकास एवं आवास.
5.10	नगरीय निकास सिंथ के अंतर्गत बुधों के परीक्षण (बुधों को काटकर गिराने, काटने, हटाने या उसके ज्वलन) की अनुज्ञा अधिप्राप्त करना.	मुख्य नगरपालिका अधिकारी/नगर परिषद् क्षेत्र के लिए,	30 कार्य दिवस	परियोजना अधिकारी, जिला शहर विकास अधिकरण.	15 कार्य दिवस.	संभागीय संयुक्त संचालक, नगरीय विकास एवं आवास.
		युक्त अधिकारी नगर पालिका निगम क्षेत्र के लिए	30 कार्य दिवस	आयुक्त, नगर पालिका निगम,	15 कार्य दिवस.	अपर आयुक्त नगरीय विकास एवं आवास.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
22.6	औषधि एवं प्रसूशन सामग्री निर्यातकाली, 1945 के नियम 69(1) एवं 90(1) के अंतर्गत औषधि निर्माण लायसेंसों में 10 से अधिक औषधियों की अनुमति जारी करना.	अनुज्ञापन प्राधिकारी कार्यालय, निर्यातक, छाछ एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश.	15 कार्य दिवस	निर्यातक, छाछ एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश.	15 कार्य दिवस	सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल.

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग के अन्तर्गत कार्यालय रजिस्ट्रार, फर्म एवं संस्थाएं की सेवाएं

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
36.1	मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण	असि. रजिस्ट्रार फर्म एवं संस्थाएं, भोपाल (भोपाल नर्मदापुरम)	20 कार्य दिवस.	डिप्टी रजिस्ट्रार, फर्म एवं संस्थाएं, मध्यप्रदेश.	30 कार्य दिवस.	रजिस्ट्रार, फर्म एवं संस्थाएं, मध्यप्रदेश.
36.3	भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अधीन भागीदारी फर्म के पंजीवन संबंधी सेवा (धारा 59).	असि. रजिस्ट्रार फर्म एवं संस्थाएं, भोपाल (भोपाल नर्मदापुरम राजस्व संभाग) इंदौर (इंदौर राजस्व संभाग) रोवा (रोवा एवं सहडोल राजस्व संभाग) जबलपुर (जबलपुर राजस्व संभाग) एवं ग्वालियर (ग्वालियर एवं चंडल राजस्व संभाग).	20 कार्य दिवस.	डिप्टी रजिस्ट्रार, फर्म एवं संस्थाएं, मध्यप्रदेश.	30 कार्य दिवस.	रजिस्ट्रार, फर्म एवं संस्थाएं, मध्यप्रदेश.

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग (वाणिज्य कर विभाग) की सेवाएं

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गयी समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
43.1	दस्तावेजों का पंजीयन.	संबंधित उप पंजीयक/वरिष्ठ उप पंजीयक.	24 घंटे (विधिक एवं तकनीकी अहताओं को पूर्ण होने पर).	संबंधित जिला पंजीयक/वरिष्ठ जिला पंजीयक.	30 दिन	संबंधित उप महानिरीक्षक पंजीयन.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरिंजन राव, सचिव.

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत वाणिज्य कर विभाग के अंतर्गत आवकारी विभाग की सेवाएं

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
33.1	औषध विनिर्माण के लिए एल-1 लाईसेंस.	जिला स्तर पर सहायक आवकारी आयुक्त/जिला आवकारी अधिकारी.	07 कार्य दिवस.	आवकारी आयुक्त, म. प्र.	10 कार्य दिवस.	प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वाणिज्य कर विभाग.
33.2	औषध विनिर्माण के लिए एल-2 लाईसेंस.	जिला स्तर पर सहायक आवकारी आयुक्त/जिला आवकारी अधिकारी.	07 कार्य दिवस.	जिला कलेक्टर	10 कार्य दिवस.	आवकारी आयुक्त, म. प्र.

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत वाणिज्य, उद्योग एवं रोजागर विभाग की सेवाएं

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गयी समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(अ)	आशय-पत्र जारी करना					
20.13	वित्तीय सुविधा/सहायता हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति पत्र (उद्योग नीति अनुसार).	प्रबंधक (फिस्कल इन्सॉटिव).	03 कार्य दिवस.	महाप्रबंधक/मुख्य महाप्रबंधक (फिस्कल इन्सॉटिव).	07 कार्य दिवस.	प्रबंध संभालक एच. पी. ट्रायफेक.

(ख) प्रयोज्य वित्तीय सुविधा/सहायता हेतु स्वीकृति एवं वितरण

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
20.14	वित्तीय सुविधा/सहायता को प्राप्त का निर्धारण.	राज्य स्तरीय साधिकार समिति (मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित).	60 कार्य दिवस. (विधिवत पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के उपरांत).	राज्य स्तरीय साधिकार समिति (मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित).	60 कार्य दिवस.	निवेश संवर्द्धन पर मंत्री परिषद समिति (सी सी आई सी).
20.15	वैट/जीएसटी अंतर्गत वितरण (दिनांक 01-07-2017 से जीएसटी प्रणाली अंतर्गत प्रतिपूर्ति).	एम. पी. ट्रायफेक का संचालक मंडल.	60 कार्य दिवस. (विधिवत पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के उपरांत).	प्रमुख सचिव, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग.	60 कार्य दिवस.	राज्य स्तरीय साधिकार समिति (एस एल ई सी).
20.16	गृहद श्रेणी की टेक्सटाइल इकाइयों हेतु न्याय अनुदान.	प्रबंध संचालक, एम. पी. ट्रायफेक.	45 कार्य दिवस. (विधिवत पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के उपरांत).	प्रमुख सचिव, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग.	30 कार्य दिवस.	राज्य स्तरीय साधिकार समिति (एस एल ई सी).
20.17	अधोसंरचना विकास पर हुये न्यय की प्रतिपूर्ति (बिजली, पानी एवं सड़क निर्माण हेतु).	प्रबंध संचालक, एम. पी. ट्रायफेक.	45 कार्य दिवस. (विधिवत पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के उपरांत).	प्रमुख सचिव, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग.	30 कार्य दिवस.	राज्य स्तरीय साधिकार समिति (एस एल ई सी).
20.18	औद्योगिक पार्क की स्थापना/विकास हेतु सहायता.	प्रबंध संचालक, एम. पी. ट्रायफेक.	45 कार्य दिवस. (विधिवत पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के उपरांत).	प्रमुख सचिव, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग.	30 कार्य दिवस.	राज्य स्तरीय साधिकार समिति (एस एल ई सी).
20.19	गृहद श्रेणी इकाइयों हेतु अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों (ईटीपी/एसटीपी आदि) की स्थापना पर पूंजी अनुदान (इसित औद्योगिकीकरण).	प्रबंध संचालक, एम. पी. ट्रायफेक.	45 कार्य दिवस. (विधिवत पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के उपरांत).	प्रमुख सचिव, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग.	30 कार्य दिवस.	राज्य स्तरीय साधिकार समिति (एस एल ई सी).

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(ख)	कारखाना अधिनियम 1948 की धारा की धारा 6, 7 सहसंश्लिषट नियम 7 के अंतर्गत गैर खतरनाक श्रेणी के कारखानों की नवीन अनुज्ञापित का नवीनीकरण/संशोधन किया जाना. -131 से 250 इकाइय तक का नियोजन.	अतिरिक्त मुख्य कारखाना निरीक्षक सम्बंधित क्षेत्र (संयुक्त संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा).	30 कार्य दिवस.	मुख्य कारखाना निरीक्षक, ग. प्र. इंदौर (संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा).	30 कार्य दिवस.	एम आनूक, ग. प्र. इंदौर.
(ग)	कारखाना अधिनियम 1948 की धारा की धारा 6, 7 सहसंश्लिषट नियम 7 के अंतर्गत गैर खतरनाक श्रेणी के कारखानों की नवीन अनुज्ञापित का नवीनीकरण/संशोधन किया जाना. -10 से 100 इकाइय तक का नियोजन.	संयुक्त मुख्य कारखाना निरीक्षक, सम्बंधित क्षेत्र (उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा).	30 कार्य दिवस.	अतिरिक्त मुख्य कारखाना निरीक्षक, सम्बंधित क्षेत्र (संयुक्त संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा).	30 कार्य दिवस.	मुख्य कारखाना निरीक्षक, ग. प्र. इंदौर (संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा).
	कारखाना अधिनियम 1948 की धारा की धारा 6, 7 सहसंश्लिषट नियम 7 के अंतर्गत गैर खतरनाक श्रेणी के कारखानों की नवीन अनुज्ञापित का नवीनीकरण/संशोधन किया जाना. -09 इकाइय तक का नियोजन.	उप मुख्य कारखाना निरीक्षक, सम्बंधित क्षेत्र (सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा).	30 कार्य दिवस.	संयुक्त मुख्य कारखाना निरीक्षक, सम्बंधित क्षेत्र (उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा).	30 कार्य दिवस.	अतिरिक्त मुख्य कारखाना निरीक्षक, सम्बंधित क्षेत्र (संयुक्त संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा).

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरिंजन राव, उचि.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.16	मोटर परिवहन कार्यक्रम अधिनियम, 1961 के अंतर्गत पंजीयन एवं लायसेंस का प्रदाय करना.	जिला स्तरीय श्रम अधिकारी / जिले में राजपत्रित श्रेणी का अधिकारी पदस्थ न होने पर संबंधित संभाग का सहायक अमानुज.	30 कार्य दिवस.	फलेनल.	30 कार्य दिवस.	संभाग अमानुज.
2.17	भवन एवं अन्य संनिर्माण कार्यक्रम अधिनियम, 1996 के अंतर्गत पंजीयन का प्रदाय.	राजपत्रित श्रेणी का जिला स्तरीय श्रम अधिकारी / जिले में राजपत्रित श्रेणी का अधिकारी पदस्थ न होने पर संबंधित संभाग का सहायक अमानुज.	30 कार्य दिवस.	कलेक्टर.	30 कार्य दिवस.	संभाग अमानुज.

क. एच 2-13-2012 इकठल लोरेण पी एच.सी 2 मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शर्तियों को प्रयोग में लाते हुए, सभ्य सरकार राजपत्रित अधिनियम क्र. 54, 2-13-2012-इकठल लोरेण दिनांक 23 दिसम्बर 2012 में श्रम विभाग से संबंधित सेवाओं (2.17 एवं 2.18) को विलोपित करने हेतु श्रम विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाने वाला सेवाएं पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवाएं प्रदान करने के लिये निश्चित की गई सफल श्रेणी, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिये निश्चित की गई सभ्य-तीम तथा द्वितीय अपील अधिकारी का पदनाम विचारपूर्वक अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत श्रम विभाग की सेवाएं

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित सफल-श्रेणी	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई सफल-श्रेणी	द्वितीय अपील अधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.11	कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा की धारा 6, 7 महापत्रित नियम 6 के अंतर्गत निर सतनाक श्रेणी के कारखानों की मशीन अनुज्ञप्ति जारी किया जाता.	मुख्य कारखाना निरीक्षक, म. प्र. इन्टीर (संचालक, औद्योगिक स्वस्थता एवं सुरक्षा).	30 कार्य दिवस.	श्रम अमानुज, म. प्र. इन्टीर.	30 कार्य दिवस.	अमृत सचिव / सचिव, श्रम विभाग.
2.12	कारखाना अधिनियम (क) 1948 की धारा की धारा 6, 7 महापत्रित नियम 7 के अंतर्गत निर सतनाक श्रेणी के कारखानों की मशीन अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण शोधन किया जात. 250 अधिक से अधिक का नियोजन.	मुख्य कारखाना निरीक्षक, म. प्र. इन्टीर (संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा).	30 कार्य दिवस.	श्रम अमानुज, म. प्र. इन्टीर.	30 कार्य दिवस.	अमृत सचिव / सचिव, श्रम विभाग.

2.9	संविदा श्रम (वि. एवं स.) अधिनियम, 1970 के अंतर्गत ठेकेदारों की अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण का प्रदाय.	राजपत्रित श्रेणी का जिला स्तरीय श्रम अधिकारी/ जिले में राजपत्रित श्रेणी का अधिकारी पदस्थ न होने पर संबंधित संभाग का सहायक श्रम अमानुज.	30 कार्य दिवस	उप अमानुज	45 कार्य दिवस	अपर अमानुज/ अमानुज.
-----	---	--	---------------	-----------	---------------	---------------------

क्र. एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी. 38.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत म. प्र. संचालक, वाष्पयंत्र, द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाएं पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिये निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत म. प्र. संचालक वाष्पयंत्र की सेवाएं

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
38.1	बायलर अधिनियम 1923 की धारा 7 के अंतर्गत बायलर का पंजीयन.	निरीक्षक बायलर ग्रेड 2/ग्रेड प्रथम/उप संचालक बायलर (संचालक बायलर द्वारा कार्यक्षेत्र आवंटन के अंतर्गत नामित अधिकारी).	30 कार्य दिवस.	निरीक्षक बायलर ग्रेड- प्रथम/उप संचालक बायलर.	20 कार्य दिवस.	संचालक बायलर.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरिरंजन राव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 10 अक्टूबर 2017

क्र. एफ-2-23-2017-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-38.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत म. प्र. संचालक वाष्पयंत्र द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाली नवीन सेवाएं पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत म. प्र. संचालक वाष्पयंत्र की सेवाएं

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
38.2	बायलर अधिनियम 1923 की धारा 8 के अंतर्गत बायलर का निरीक्षण.	निरीक्षण बायलर ग्रेड-2/ग्रेड प्रथम/ उप संचालक बायलर (संचालक बायलर द्वारा कार्यक्षेत्र आवंटन के अंतर्गत नामित अधिकारी).	17 कार्य दिवस	संचालक बायलर	30 कार्य दिवस.	प्रमुख सचिव, वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग.
38.3	भारतीय बायलर विनियम 1950 के विनियम 392 (5) के अंतर्गत बायलर निर्माणकर्ता इकाईयों का अनुमोदन.	निरीक्षण बायलर ग्रेड-2/ग्रेड प्रथम/ उप संचालक बायलर (संचालक बायलर द्वारा कार्यक्षेत्र आवंटन के अंतर्गत नामित अधिकारी).	30 कार्य दिवस	संचालक बायलर	30 कार्य दिवस.	प्रमुख सचिव, वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग.
38.4	भारतीय बायलर विनियम 1950 के विनियम 392 (5) के अंतर्गत बायलर इरेक्शनकर्ता इकाईयों का अनुमोदन.	निरीक्षण बायलर ग्रेड-2/ग्रेड प्रथम/ उप संचालक बायलर (संचालक बायलर द्वारा कार्यक्षेत्र आवंटन के अंतर्गत नामित अधिकारी).	30 कार्य दिवस	संचालक बायलर	30 कार्य दिवस.	प्रमुख सचिव, वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरिरंजन राव, सचिव.